न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 02/2011
RCMS Case No. 2011/00049

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1 सरकार जरिये तहसीलदार मारवाड जंक्शन	1	सार्वजनिक कॉपरेटिव सोसायटी सिनला

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व (सहकारी समितियों को भू आवंटन) नियम 1959 के तहत आवंटित भूमि को निरस्त करने बाबत।

उपस्थित :–
1. सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक 19.2.2018

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व (सहकारी समितियों को भूमि आवंटन) नियम 1959 के तहत आवंटित भूमि के आवंटन को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थी के विरूद्ध पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी एवं उनके द्वारा नियुक्त अभिभाषक नियत तारीख पेशी पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सिनला तहसील मा0जं0 के खसरा नम्बर 14, 33, 39, 45, 675, 677, 684, 685, 741, 743, 745, 837, 884 व 896 कुल खसरा 14 जिसका कुल रकबा 86.4505 हैक्टेयर भूमि सार्वजनिक कॉपरेटिव सोसायटी सिनला को सामूहिक रूप से काश्त करने हेतु आवंटन की गई थी। उक्त सोसायटी की वर्तमान स्थिति एवं सोसायटी वर्तमान में कार्यशील नही है तथा न ही कार्यालय है। सोसायटी के सदस्यों द्वारा खेती नही की जाती है। सदस्यगण व्यक्तिगत रूप से खेती करते है। सोसायटी के सदस्यों द्वारा कभी भी सामूहिक रूप से खेती नही की गई है एवं सोसायटी नियमों की पालना नही की गई है। अप्रार्थी द्वारा नियम 1959 के नियम 5 में वर्णित शर्तो की पालना नही की है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कराते हुए अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त करावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। ग्राम सिनला तहसील मा0जं0 के खसरा नम्बर 14, 33, 39, 45, 675, 677, 684, 685, 741, 743, 745, 837, 884 व 896 कुल खसरा 14 जिसका कुल रकबा 86.4505 हैक्टेयर भूमि सार्वजनिक कोपरेटीव सोसायटी ग्राम सिनला के नाम बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि अप्रार्थी समिति को राजस्थान भू राजस्व (सहकारी समितियों को भूमि आवंटन) नियम 1959 के तहत आवंटित हुई थी। उक्त समिति के सदस्यों द्वारा हस्तगत प्रकरण में वर्णित भूमि सामूहिक कृषि न कर व्यक्तिगत कृषि हेतु उपयोग में ली जा रही है। इस प्रकार समिति द्वारा उक्त भूमि अपने सदस्यों को व्यक्तिगत कृषि हेतु हस्तान्तरित की जा चुकी है। जो कि राजस्थान भू राजस्व (सहकारी समितियों को भू–आवंटन) नियम, 1959 की धारा 5 (4)(ग) के उल्लंघन की श्रेणी में परिलक्षित होता है। इसके अतिरिक्त उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां पाली द्वारा अपने पत्रांक/4835 दिनांक 09.10.2010 के जरिये यह जाहिर किया कि समिति का पंजीयन दिनांक **31.08.1996 को रद्द किया जा चुका है। इससे यह साबित होता है कि उक्त समिति प्रभावशील नहीं है। जिसके कारण सार्वजनिक कोपरेटीव सोसायटी सिनला को किया गया आवंटन कायम रखने योग्य नही पाया जाता है।**

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सार्वजनिक कोपरेटीव सोसायटी ग्राम सिनला द्वारा राजस्थान भू राजस्व (सहकारी

अति० जिला कलक्टर पाली

समितियों को भू–आवंटन) नियम, 1959 की धारा 5 (4)(ग) का उल्लंघन करने तथा समिति का पंजीयन रद्द होने के कारण सार्वजनिक कोपरेटीव सोसायटी ग्राम सिनला को ग्राम सिनला तहसील मा0जं0 के खसरा नम्बर 14, 33, 39, 45, 675, 677, 684, 685, 741, 743, 745, 837, 884 व 896 कुल खसरा 14 जिसका कुल रकबा 86.4505 हैक्टेयर भूमि के आवंटन को निरस्त किया जाता है तथा भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज करने के आदेश तहसीलदार मारवाड जंक्शन को दिये जाते है, साथ ही तहसीलदार मा0जं0 को निर्देश दिये जाते है कि वे भूमि को राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज कर कब्जा प्राप्त करें। इस निर्णय की प्रति तहसीलदार मारवाड जंक्शन को वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 19.2.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली